

मु.न-26/24 चौधुराम / तेजाराम

घाट (कानून)

4-12-28 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.
P.O. साहब जैसे अवकाश पर पधारें हैं।
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक
.....15.....1.....26..... को पेश हो।

15-1-26 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष के वकील
तहसीलदार, रूपनगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त,
सं. 1 से 6, 8, 9 के जवाब देबु पत्रावली
12-2-26 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

12-2-26 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष के वकील उपस्थित,
तहसीलदार, रूपनगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन
किया गया एवं उभयपक्ष को सुना गया। उक्त रिप.
के अवलोकन अनुसार वादग्रस्त भूमि से संबंध
इस न्यायालय का प्रकरण सं. 09/22 अनवरत चौ.
राम बनाम लालचन्द अन्तर्गत धारा 251(क) स.
T. स. के तहत दिनांक 19-4-23 को खारिज किया
जा चुका है, इस कारण उक्त प्रकरण स्वीकार
योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।
पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर
से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)